# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 649 / 2021

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. भीखेखां पुत्र ओखेखां<br>2. हबीबखां पुत्र ओखेखां<br>3. आसी पत्नि ओखेखां<br>4. सकूरखां पुत्र आरबखां<br>5. सदीकखां पुत्र आरबखां<br>6. सुबानखां पुत्र आरबखां<br>जाति मुसलमान निवासी ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर | | 1. नूरमोहम्मद पुत्र तमासी<br>जाति मुसलमान निवासी ऐवाडी मानजी तहसील सिणधरी<br>2. चुतराराम पुत्र नरींगाराम<br>3. ताजाराम पुत्र नरींगाराम<br>जातियान जाट निवासी ऐवाडी मानजी तहसील सिणधरी<br>4. केसाराम पुत्र बुधाराम<br>5. लच्छाराम पुत्र बुधाराम<br>जातियान मेघवाल निवासी ऐवाड़ी मानजी<br>6. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग रेंज सिणधरी<br>7. सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली पं. स. सिणधरी<br>8. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति–**

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 6 के प्रतिनिधि एवं [illegible] उपस्थित।

2. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>**आदेश**</u>

दिनांक 13.10.2022

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा नं. 84, 146/84 रकबा 19.0034 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच काश्त हेतु जुताई को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा नं. 84, 146/84 रकबा 19.0034 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 6 की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा शेष विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 व 7 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा नं. 84, 146/84 रकबा 19.0034 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच काश्त हेतु जुताई संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है तथा बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ा को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई एवं आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा [illegible] 146/84 रकबा 9.4329 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फ[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

4. इसके विपरित विप्रार्थी सं0 6 ने अनपे ज[illegible] निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 146/84 व 84 ग्राम ऐवाड़ी मानजी के नेखमबंदी कराने से इसने सटे रक्षित वनक्षेत्र एवाड़ी मानजी के खसरा नम्बर 42 की सीमा प्रभावित कर वनक्षेत्र के रकबे को प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि वनक्षेत्र के स्थाई सीमा पीलर नहीं बने हुए है। ऐसी स्थिति में वन क्षेत्र का सर्वे कर वन भूमि के रकबे को पूरा किया जाये अथवा वनभूमि के रकबे

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कमी–बेशी का सर्वे के दौरान पता कर दो या अधिक रेफरेंस पॉईन्ट ज्ञात कर वनभूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबे का सीमाकंन किया जावे। इस हेतु वनभूमि के पड़ोसी खसरो के नेखमबंदी हेतु सर्वे में वनकर्मी को शामिल करने हेतु पहले से निर्धारित तिथि से अवगत कराये बिना नेखमबंदी की कार्यवाही अस्वीकार्य है।

5.हमनें वकील प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 6 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा नं. 84, 146/84 रकबा 19.0034 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विप्रार्थी सं. 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों में प्रार्थीगण के सेढ़ा सेढ वन विभाग की भूमि होने से वक्त सीमाकंन उनके प्रतिनिधि को साथ रखे जाने का निवेदन किया है तथा विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 व 7 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। ।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ऐवाड़ी मानजी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा नं. 84, 146/84 रकबा 19.0034 हैक्टयर भूमि के संबध में वन विभाग की सीमाओं का विशेष ध्यान रखते हुए वन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को लिखा जाकर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी